न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 18/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/23

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज)	बनाम	अभियुक्त :– मोहित पुत्र श्री बादामीलालजी मैसर्स– बाहुबली किराणा एण्ड जनरल स्टोर, सदर बाजार परतापुर, बांसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 21–03–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक **09–02–2023** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **30–08–2022** को 03.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स – श्री बाहुबली किराणा एण्ड जनरल स्टोर, सदर बाजार परतापुर, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **मोहित पुत्र श्री बादामीलालजी** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **Ghee (Brand- Mahaan) के 20 पैकेट** प्रत्येक पैकेट एक–एक लीटर के आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **Ghee (Brand- Mahaan) के 4 पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 2080 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Ghee (Brand- Mahaan)** के पैके[illegible]ल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिक[illegible] **W-1189** लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया।[illegible] गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना [illegible]र चिपकाया गया। [illegible] नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:13:04 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतियां आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसावाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/303-04 दिनांक 13-09-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 767 दिनांक 13-09-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Ghee (Brand-Mahaan)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1189** Misbranded under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Ghee (Brand- Mahaan)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्मने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13-02-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 21-03-2023 को अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/303-04 दिनांक 13-09-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 767 दिनांक 13-09-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Ghee (Brand-Mahaan)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1189** Misbranded under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड **Ghee (Brand- Mahaan)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:13:04 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी मोहित पुत्र श्री **बादामीलालजी मैसर्स बाहुबली किराणा एण्ड जनरल स्टोर, सदर बाजार परतापुर, बांसवाडा को रूपये 75000/– (अक्षरे रू पिचहत्तर हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 21–03–2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:13:04 IST
Reason: SelfAttested